तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14-12-17	वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 10, 11 आ०डी० का जवाब वादीगण की ओर से पेश हुआ वास्ते बहस प्रा०पत्र 10, 11 आ-डी पत्रावली 17-1-18 को पेश हो।
17-1-18	वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र धारा 10, 11 आ-डी पर बहस उभयपक्ष सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 18-1-18 को पेश हो।
18-1-18	वकील उभयपक्ष उपस्थित वास्ते आदेश प्रा०पत्र धारा 10, 11 आ-डी पत्रावली 25-1-18 को पेश हो।
25-1-18	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी [illegible] राज्य कार्यवश बाहर दौरे पे तशरीफ रखेते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 7-2-18 को पेश हों।
7.2.18	गत नियत पेशी पर वकुलाय उभयपक्ष की धारा 10 व 11 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि इसी उनवान से एक वाद न्यायालय में वाद सं. 41/2013 के तहत इन्हीं पक्षकारो के मध्य विचाराधीन था जिसे दिनांक 7.09.2016 को खारिज कर दिया गया उक्त वाद सं. 41/2013 की अपील वादीगण सम्पत सिंह व लेखराज वादीगण द्वारा माननीय RAA, कोर्ट को की गयी है जिसमें दिनांक 13.10.16 को यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश किये गये है।

क्रमशः

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वादीगणने पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर उसी भूमि बाबत नया दावा माननीय न्यायालय में पूर्व के वाद को छुपाकर पेश किया है। उस वाद सं. 41/2013 RAA कोटा में अपील विचाराधीन है। अतः वर्तमान विचाराधीन वाद धारा 11 के तहत खारीज होने योग्य है। यदि वाद को खारीज नहीं किया जावे तो अपील के निर्णय तक स्थगित रखा जाना आवश्यक है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में पूर्व वाद 41/2013 के निर्णय की प्रति, RAA कोटा में अपील की आदेशिका की प्रति पेश की। वादी द्वारा चाहा गया रिलीफ पूर्व दावे व वर्तमान दावे दोनों में समान है तथा प्रतिवादी सं. 1 के खिलाफ ही चाहा गया है। अतः हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा खारिज फरमावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पूर्ववर्ती वाद में ग्राम पंचायत बड़ाखेड़ा को नोटिस नहीं दिया गया नोटिस के अभाव में उक्त वाद माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। वाद खारीज होने के बाद प्रतिवादी द्वारा पुनः विवादित आराजी पर निर्माण कार्य करवाना आरम्भ कर दिया। इस कारण नया वादकारण उत्पन्न होने से दावा पेश किया। चूंकि पूर्ववर्ती वाद का सारतः कोई निर्णय न्यायालय द्वारा नही किया गया। अपीलीय न्यायालय के आदेश से इस वाद की स्थिति में कोई परिवर्तन नही आएगा। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र नही लगाया गया है अतः प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि RAA न्यायालय द्वारा उक्त विवादित आराजी पर दिनांक 13.10.16 को मौके की यथास्थिति दी है। वर्तमान में वाद विचाराधीन है अतः उसी आराजी बाबत नया दावा नही लाया जा सकता प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। क्रमशः...	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय का विवेचन इस प्रकार है प्रकरण वाद सं. 41/2013 के निर्णय दिनांक 7.9.16 इसी आराजी से सम्बन्धित है। उक्त निर्णय दिनांक 7.9.16 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी की अपील राजस्व अपील अधिकारी, कोटा में कि गयी है। चूँकि उक्त आराजी बाबत वाद अपीलीय न्यायालय में लम्बित है अतः हस्तगत प्रकरण में धारा 10 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 10 जा.दी. स्वीकार किया जाता है, वाद खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)